पत्र संख्या-28/डा०से०-03/2008.....2733.....वि०(2)-

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक-

रामेश्वर सिंह,
प्रधान सचिव ।

सेवा में-

प्रधान सचिव/सचिव
मानव संसाधन विकास विभाग/ स्वास्थ्य विभाग/ भवन निर्माण विभाग ।

पटना,दिनांक- 28/3/2011

विषयः- भवन निर्माण विभाग को निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये राशि का डी.सी. विपत्र समर्पित करने के संबंध में ।

प्रसंगः- विभागीय पत्रांक 8407 दिनांक 05.08.10, पत्रांक 8460 दिनांक 06.08.10 तथा पत्रांक 10247 दिनांक 17.09.10 तथा महालेखाकार (ले० एवं ह०) का पत्रांक T.M.-(10-11)-1493 दिनांक 22.02.11

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मानव संसाधन विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूर्व में बड़े पैमाने पर राशि की निकासी ए.सी. विपत्र पर करते हुए निर्माण कार्य सम्पन्न कराने हेतु भवन निर्माण विभाग को उपलब्ध कराया गया है । महालेखाकार (ले० एवं ह०) ने अपने उपर अंकित पत्र द्वारा संबंधित राशि का डी.सी. विपत्र समर्पित नही किये जाने की ओर ध्यान आकृष्ट किया है ।

2. ऐसे राशि का डी.सी. विपत्र समर्पित करने के संदर्भ में यह निदेश दिया गया था कि भवन निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि की विस्तृत विवरणी संबंधित विभागों को उपलब्ध करायी जायेगी तथा भवन निर्माण विभाग के प्राप्त विवरणी के आधार पर संबंधित राशि को Link करते हुए संबंधित विभागों द्वारा डी.सी. विपत्र महालेखाकार (ले० एवं ह०) को उपलब्ध कराया जायेगा ।

3. इस संदर्भ में राशि देने वाले विभाग/निर्माण कार्य से संबंधित विभाग/कार्य प्रमण्डलों द्वारा भरी जाने वाली विवरणी से संबंधित तीन प्रपत्रों को (जिसे महालेखाकर (ले० एवं ह०) द्वारा दिनांक 15.09.2010 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदित किया था) विभागीय पत्रांक 10247 दिनांक 17.09.10 के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध किया गया था कि उक्त प्रपत्रों में विवरणी महालेखाकार (ले० एवं ह०) को उपलब्ध करायी जाय ताकि संबंधित राशि का समायोजन हो सके ।

अतः पुनः अनुरोध है कि उपर अंकित प्रपत्रों में आवश्यक विवरणी महालेखाकार (ले० एवं ह०) को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन
28/3/2011
(रामेश्वर सिंह)
प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक- 28/डा०से०-03/2008 2733 दिनांक- 28/3/2011
प्रतिलिपि- प्रधान सचिव/सचिव सभी विभाग (मानव संसाधन विकास विभाग/स्वास्थ्य विभाग तथा भवन निर्माण विभाग को छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28/3/2011
(रामेश्वर सिंह)
प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक- 28/डा०से०-03/2008 2733 दिनांक- 28/3/2011
प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले०एवंह०), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28/3/2011
(रामेश्वर सिंह)

पत्र संख्या-28/डा०से०-03/2008.....75/FC.....वि०(2)-

बिहार सरकार
वित्त विभाग

सेवा में,

रामेश्वर सिंह,
प्रधान सचिव ।

महालेखाकार(ले0 एवं ह0)
बिहार, पटना ।

पटना,दिनांक...04/04/2011.....

विषयः-
प्रसंगः- समर्पित किये गये डी.सी. विपत्रों के त्रुटियों का निराकरण ।
आपका पत्रांक T.M.-(10-11)-1493 दिनांक 22.02.11

महोदय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में बताना है कि उपर अंकित पत्र में उठाये गये बिन्दुओं पर विन्दुवार स्थिति स्पष्ट करते हुए वित्त विभागीय पत्रांक- 67-Secy(E) दिनांक 01.04.2011 द्वारा प्रतिवेदन प्रेषित किया जा चुका है । आपके उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र में यह भी अंकित है कि अभी तक मात्र ₹ 6190 करोड़ के ही विपत्रों की जाँच हो पायी है एवं लगभग 80 बोरे डी.सी. बिल बंद कर रखे हुए है जिसका Sorting भी नही किया गया है ।

2 उपर्युक्त संदर्भ में उल्लेखनीय है कि बड़े पैमाने पर डी.सी. विपत्र लंबित होने की स्थिति में वित्त विभाग द्वारा समाचार-पत्रों में दिनांक 18.07.2010 को प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया था कि वे अपने कार्यालय के जिम्मेवार कर्मियों के माध्यम से डी.सी. विपत्रों को महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करेंगे तथा विपत्रों में त्रुटियाँ पायी जाने की स्थिति में उसमें महालेखाकार कार्यालय में ही आवश्यक सुधार कर महालेखाकार कार्यालय से स्वीकृत कराने के पश्चात ही संबंधित कर्मीगण वापस लौटेंगे । डी.सी. विपत्र जमा करने के समय महालेखाकार कार्यालय द्वारा विपत्रो की प्रारंभिक जाँच नहीं की जा सकी जिससे उपर्युक्त स्थिति सामने आयी है ।

3. इस समस्या के निराकरण हेतु में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 17.01.2011 को बैठक हुई थी जिसमें आप भी सम्मिलित हुए थे । उक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सभी समर्पित डी.सी.बिलों को विभागवार,डी.डी.ओ.वार Sorting कराकर सूचना दी जाय ताकि संबंधित विभागों द्वारा विपत्रों की तकनीकी त्रुटियों का निराकरण टीम बनाकर कराया जा सके । यह कार्य अभी तक नही हो पाया है । पुनः अनुरोध है कि वित्त विभागीय पत्रांक 67-Secy(E) दिनांक- 01.04.2011 की कंडिका-7 में वर्णित अनुरोध के क्रम में बिलों की Sorting कराकर विभागवार/डी.डी.ओ.वार सूची तैयार कर तिथि निर्धारित करने की कृपा की जाय ताकि त्रुटियों का समय निराकरण हो सके ।

4 समाज कल्याण विभाग के पत्रांक 448 दिनांक 24.02.2011 द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों में संधारित व्यवस्थी को प्रमाणक के रूप में स्वीकार करने करने संबंधी प्रस्ताव आपका भेजा गया है । इस पर भी शीघ्रता अपेक्षित है ।

अनुरोध है कि ऊपर अंकित वर्णित तथ्यों के क्रम में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन
4/4/2011
(रामेश्वर सिंह)
प्रधान सचिव ।

पत्रांक— एम 04–52/ 2007/ 6987 /वि0(2),

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

रामेश्वर सिंह
प्रधान सचिव।

सेवा में,

पटना, दिनांक 28/7/11

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी,
सभी उप कोषागार पदाधिकारी,

विषय :— मुख्य शीर्ष 8443–सिविल जमा के अंतर्गत शेष अव्यवहृत राशि को कोषागार में जमा करने के संबंध में।

प्रसंग :— वित्त विभाग का पत्रांक 11578 दिनांक 04.12.2009 एवं 3979 दिनांक 12.04.2010.

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय लेखे वर्ष 2007 के अनुसार मुख्य शीर्ष 8443 के लघु शीर्ष–111–अन्य विभागीय जमा (विपत्र कोड सं0–8443001110001) में 3,83,79,13000/– (तीन अरब, तेरासी करोड़, उनासी लाख तेरह हजार) रूपये मात्र जमा प्रतिवेदित है, जो एक बहुत बड़ी राशि है एवं अव्यवहृत पड़ी हुई है। राशि की निकासी कर इसे सिविल जमा में रखने तथा लंबी अवधि तक उक्त राशि का उपयोग नहीं किये जाने के संबंध में महालेखाकार द्वारा आपत्ति की जा रही है। लोक लेखा समिति की दिनांक 20.11.2009 की बैठक में मुख्य सचिव, बिहार एवं प्रधान सचिव, वित्त के समक्ष इस विषय पर घोर आपत्ति प्रकट की गई थी तथा इसका शीघ्र निराकरण करने हेतु कहा गया था जिसके आलोक में प्रासंगिक पत्रांक 11578 दिनांक 04.12.2009 द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी विभागाध्यक्ष एवं सभी जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया गया था कि अपने विभाग में जमा राशि की समीक्षा कराई जाय तथा राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2009–10 के अंत तक सुनिश्चित कराया जाय तथा जिन राशियों का उपयोग संभव नहीं हो उन्हें राज्य की संचित निधि में जमा कराने हेतु कार्रवाई की जाय।

उक्त पत्र के आलोक में संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने पर पुनः वित्त विभाग के प्रासंगिक पत्रांक 3979 दिनांक 12.04.2010 के द्वारा यह निदेश दिया गया कि दिनांक 01.04.2003 के पूर्व सिविल जमा में जमा की गई राशि में से जिस राशि का व्यय नहीं हुआ है उक्त राशि की निकासी [illegible] कर संचित निधि में संगत लघु शीर्ष एवं उप शीर्ष में दिनांक 15.08.2010 [illegible]

जाय। परन्तु इस संबंध में मात्र कुछ ही विभागों से अनुपालन में और प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।

उपर्युक्त स्थिति पर सम्यक विचारोपरांत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि बिहार कोषागार संहिता भाग–I नियम–552 के आलोक में 31 मार्च, 2000 तक सिविल जमा मुख्य शीर्ष 8443 के लघु शीर्ष–III–अन्य विभागीय जमा (विपत्र कोड सं0–8443001110001) में जमा राशि जिसकी निकासी अभी तक नहीं हुई है, उसकी निकासी कर सरकार के संचित निधि में यदि पूर्व में उसकी निकासी गैर योजना मद में राजस्व मद में हुई हो तो लघु शीर्ष–911–घटायें अधिक अदायगियों की वसूलियों एवं उपशीर्ष–0002 अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी एवं पूंजीगत व्यय से होने की स्थिति में लघु शीर्ष–800–अन्य व्यय तथा उपशीर्ष–0090–घटायें पूंजीगत लेखों में प्राप्तियों तथा वसूलियों में जमा की जायेगी। राज्य योजना मद/केन्द्रीय योजनागत योजना/केन्द्रीय प्रायोजित योजना की राशि के लिए राजस्व व्यय की स्थिति में लघु शीर्ष–911–घटायें अधिक अदायगिया की वसूलियां के लिए उपशीर्ष–0102/0402/0602 क्रमशः होगा। पूंजीगत व्यय के लिए लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय उपशीर्ष–घटायें पूंजीगत लेखों में प्राप्तियां तथा वसूलियों से राज्य योजना/केन्द्रीय योजनागत योजना/केन्द्रीय प्रायोजित योजना में क्रमशः 0190/0490/0690 में चालान से जमा करा दिया जाना होगा और प्रत्येक राशि के लिए एक विपत्र कोषागार से तैयार कर जमा कर दिया जाय। इसकी सूचना महालेखा–परीक्षक की लेखा संहिता खंड–II में अन्तर्विष्ट निदेशों के अनुसार तैयार की गई एक सूची कोषागार पदाधिकारी द्वारा तुरंत महालेखाकार को भेज दी जाय। कृत कारवाई की सूचना वित्त विभाग को 7 (सात) दिनों के अंदर दी जाए।

विश्वासभाजन,

(रामेश्वर सिंह)
प्रधान सचिव।

पत्र संख्या- वित्त/डा०से०-03/2008(खण्ड-1).....7081/....वि०(2)

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक :-

रामेश्वर सिंह,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/
सभी विभाग ।

पटना, दिनांक 11/8/11

विषय:- वित्तीय वर्ष 2010-11 में सार विपत्रों पर निकासी की गयी राशि के विरूद्ध डी.सी. विपत्र/उपयोगिता प्रमाण-पत्र समर्पित करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध मे निम्नांकित बातें कहनी है :-

1. वित्तीय वर्ष 2010-11 में सार विपत्रों पर निकासी की गयी राशि की विवरणी (विभागवार, कोषागारवार एवं डी0डी0ओ0वार) की सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी इस पत्र के साथ प्रेषित की जा रही है ।

2. निकासी की गयी राशि की विवरणी के संदर्भ में इस बात की जाँच कर ली जाय कि राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा दिये गये छूट/निदेश के आलोक में की गयी है अथवा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के स्तर पर राशि निकासी करने में किसी प्रकार की चूक की गयी है ।

3 तत्संबंधी डी0सी0 विपत्र/उपयोगिता प्रमाण-पत्र एक माह के अन्दर महालेखाकार को भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय । प्रश्नगत वर्ष मे सार विपत्रो पर निकासी की राशि का डी0सी0 विपत्र/उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार (ले0 एव ह0) को समर्पित करने मे किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि गत वर्ष का मामला होने के चलते इससे संबंधित सारे कागजात/अभिश्रव संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पास उपलब्ध होंगे ।

4. समर्पित किये गये डी.सी. विपत्र/उपयोगिता प्रमाण-पत्र की विवरणी प्रेषित की जा रही हार्ड कॉपी के अभ्युक्ति कॉलम में दर्ज कर वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जाय ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किस विपत्र द्वारा निकासी की गयी राशि का डी.सी. विपत्र/उपयोगिता प्रमाण-पत्र समर्पित किया गया है ।

5. यह भी उल्लेख करना है कि बिहार कोषागार संहिता के नियम 319 तथा नियम 322(2) (यथा संशोधित वर्ष 2006) के अनुसार सार विपत्रों पर निकासी की गयी राशि का डी.सी. विपत्र राशि की निकासी से छः माह के अन्दर महालेखाकार (ले0 एवं ह0) को उपलब्ध करा दिया जाना है जैसा कि वित्त विभागीय पत्रांक 8244 दिनांक 02.08.10 की कंडिका (ज) में भी उल्लिखित किया गया है । उक्त राशि की निकासी के छः माह के अन्दर राशि का व्यय नहीं होने की स्थिति मे राशि को कोषागार मे जमा कर डी.सी. विपत्र समर्पित करने की कार्रवाई की जाय ।

अनुलग्नक:- यथोपरि ।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर)

(रामेश्वर सिंह)
प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक- 7081/........ दिनांक- 11/8/11

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

(हस्ताक्षर)

(रामेश्वर सिंह)

पत्र सं०- 28/डा०से०-18/2010.....8210..../वि(2)-

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

रामेश्वर सिंह,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग ।

पटना, दिनांक-.....5.9.11.....

विषयः- सार विपत्र (ए.सी. विपत्र) के माध्यम से निकासी की गयी राशि का डी.सी. विपत्र तथा सहायक अनुदान संबंधी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र समर्पित करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2002-03 से 2007-08, वर्ष 2008-09 से 2009-10 तथा वर्ष 2010-11 की अवधि के लंबित सार विपत्रों के विरूद्ध डी.सी. विपत्र तथा सहायक अनुदान मद की लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र समर्पित करने संबंधी मामलों की समीक्षा से विदित होता है कि विगत दिनों में इस संदर्भ में प्रगति धीमी हुई है जो चिंता का विषय है । इस संबंध में पूर्व में निम्नांकित निर्देश निर्गत हैं :-

(क) वित्त विभागीय पत्रांक 8244 दिनांक 02.08.2010 की कंडिका- "ज" में स्पष्ट रूप से अंकित है कि "ए.सी. विपत्र पर निकासी की गई राशि का व्यय अगर निर्धारित छः माह की अवधि, जिसमें डी.सी. विपत्र समर्पित करना है, तक नहीं हो सके तो उक्त राशि को कोषागार में जमा करा दिया जाय । कोषागार यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के जिम्मे छः माह से अधिक की अवधि का ए.सी. विपत्र लंबित हो, उन्हें ए.सी. बिल पर तब तक कोई निकासी नहीं करने दी जाएगी जबतक वे ऐसे ए.सी. विपत्रों से संबंधित डी.सी. विपत्र महालेखाकार को उपलब्ध नहीं करा देते हैं ।"

(ख) वित्त विभागीय पत्रांक 9626 दिनांक 03.09.2010 में अंकित किया गया है कि "जिन कारणों से संबंधित राशि का डी.सी. विपत्र समर्पित नहीं किया जा सका है, उसके संबंध में निराकरण करते हुए यदि आवश्यकता हो तो वित्त विभाग का परामर्श लेकर अथवा अवशेष राशि को कोषागार में जमाकर डी.सी. विपत्र समर्पित करायेंगें । यहाँ तक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के स्वयं के वेतनादि की निकासी का प्रश्न है, इस संबंध में विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी इस बात की समीक्षा कर लें कि संबंधित डी.सी. बिल समर्पित नहीं करने के लिए स्वयं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार है या नहीं अथवा कौन से पदाधिकारी/कर्मचारी जिम्मेवार है एवं उनके विरूद्ध स्पष्टीकरण प्राप्त कर प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय कार्यवाही हेतु सक्षम प्राधिकार को प्रस्ताव दिया जाय ।"

2. विभिन्न विभागों के साथ की गयी समीक्षात्मक बैठक से ऐसा प्रतीत होता है कि जिन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के जिम्मे पूर्व से सार विपत्र पर निकासी की गयी राशि का डी.सी. विपत्र समर्पित करना शेष है, उन्हें भी विभाग के स्तर से विभिन्न मदों में राशि का आवंटन दिया जा रहा है जिसकी निकासी ए.सी. विपत्र के माध्यम से की जाती है ।

<u>उपरत आलोक में निम्न कार्रवाई अपेक्षित है :-</u>

(क) विभाग के स्तर पर लंबित ए.सी. विपत्र की राशि का डी.सी. विपत्र समर्पित कराने हेतु जिलावार/डी.डी.ओ.वार समीक्षा की जाय तथा जिन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा लंबित ए.सी. विपत्र की राशि को डी.सी. विपत्र समर्पित नहीं किया गया है, उनके विरूद्ध उपर अंकित निदेश के आलोक में कार्रवाई की जाय तथा संबंधित शीर्ष में आगे <u>आवंटन वित्त विभाग की सहमति के बिना नहीं दिया जाय ।</u>

55

(ख) वित्त विभागीय पत्रांक 8244 दिनांक 02.08.2010 की कंडिका ज तथा वित्त विभागीय पत्रांक 9626 दिनांक 03.09.2010 में वर्णित निदेश का अनुपालन दृढ़ता से करायी जाय ।

(ग) संबंधित संस्था से सहायक अनुदान मद की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में प्राप्त कर तथा विभाग के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर स्वीकृत्यादेशवार उपयोगिता प्रमाण-पत्र (स्वीकृत्यादेश की प्रति संलग्न करते हुए) महालेखाकार (ले. एवं ह.) को प्रेषित करने के पश्चात ही सहायक अनुदान मद की राशि संबंधित Grantee Institution को दी जाए ।

विश्वासभाजन

3/6/2011

(रामेश्वर सिंह)
प्रधान सचिव ।

पत्र सं०- 28/डा०से०-18/2010.....8211.... /वि(2)-

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

रामेश्वर सिंह,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक-.....5/9/11.....

विषयः- **सार विपत्र (ए.सी. विपत्र) के माध्यम से निकासी की गयी राशि का डी.सी. विपत्र समर्पित करने के संबंध में ।**

प्रसंगः- **वित्त विभागीय पत्रांक 8244 दिनांक 02.08.2010, पत्रांक 9292 दिनांक 26.08.2010, पत्रांक 9626 दिनांक 03.09.2010 तथा पत्रांक 12135 दिनांक 27.10.2010**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निम्नांकित निर्देश पूर्व में दिए गए हैं :

(1) वित्त विभागीय पत्रांक 8244 दिनांक 02.06.2010 की कंडिका ज में स्पष्ट रूप से अंकित है कि "ए.सी. विपत्र पर निकासी की गई राशि का व्यय अगर निर्धारित छः माह की अवधि, जिसमें डी.सी. विपत्र समर्पित करना है, तक नहीं हो सके तो उक्त राशि को कोषागार में जमा करा दिया जाय । कोषागार यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के जिम्मे छः माह से अधिक की अवधि का ए.सी. विपत्र लंबित हो, उन्हें ए.सी. बिल पर तब तक कोई निकासी नहीं करने दी जाएगी जबतक वे ऐसे ए.सी. विपत्रों से संबंधित डी.सी. विपत्र महालेखाकार को उपलब्ध नहीं करा देते हैं ।"

(2) वित्त विभागीय पत्रांक 9297 दिनांक 26.08.10 के द्वारा ए.सी. विपत्र पर निकासी की गयी राशि का कोषागारवार, विभागावार, डी.डी.ओ.वार विवरणी संलग्न करते हुए अनुरोध किया गया था कि "इस बात की समीक्षा कर ली जाय कि किन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा ए.सी. विपत्र पर निकासी की गयी राशि का पूर्ण रूपेण डी.सी. विपत्र महालेखाकार को समर्पित कर दिया गया है तथा किन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा अभी तक संबंधित डी.सी. विपत्र महालेखाकार को समर्पित नहीं किया गया है अथवा आंशिक रूप से डी.सी. विपत्र समर्पित किया गया है । हर ए.सी. विपत्र के संबंध में इस बिन्दु पर विशिष्ट जानकारी ली जाए कि डी.सी. विपत्र समर्पित नहीं करने के क्या कारण है । इस क्रम में सर्वप्रथम ऐसे निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जो सीधे आपके नियंत्रण में है द्वारा समर्पित डी.सी. विपत्र की समीक्षा की जाय तथा तत्पश्चतात अन्य निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा समर्पित डी.सी. विपत्र की समीक्षा की जाय । तत्संबंधी प्रतिवेदन संबंधित विभाग को प्रेषित करते हुए उसकी एक प्रति वित्त विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय ।"

(3) पुनः विभागीय पत्रांक 9626 दिनांक 03.09.10 के द्वारा सार विपत्र के माध्यम से निकासी की गयी राशि का डी.सी. विपत्र समर्पित करने तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के दायित्व के संबंध में विस्तृत निदेश दिये गये थे तथा आदेशित किया गया था कि जिन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ने वर्ष 2002-03 से 2009-10 की अवधि में ए.सी. विपत्रों पर राशि की निकासी की है तथा जिनका सामंजन विपत्र उन्होनें महालेखाकार (ले. एवं ह.) को समर्पित नहीं किया है, वैसे निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा मात्र ए.सी. विपत्र के माध्यम से निकासी पर रोक कायम रहेगी परन्तु यह रोक ऐसे निकासियों पर लागू नहीं होगी जो न्यायालय के आदेश, विधि व्यवस्था, निर्वाचन, बाढ़, सुखाड़ या किसी आपदा अथवा सेवान्त लाभ के भुगतान से संबंधित है ।" प्रश्नगत पत्र की कंडिका 3 में यह भी अंकित किया गया था कि "जिन कारणों से संबंधित राशि का डी.सी. विपत्र समर्पित नहीं किया जा सका है, उसके संबंध में निराकरण करते हुए यदि आवश्यकता हो तो वित्त विभाग का परामर्श लेकर अथवा अवशेष राशि को कोषागार में जमाकर डी.सी. विपत्र समर्पित करायेंगें । यहाँ तक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के स्वयं के वेतनादि की निकासी का प्रश्न है, इस संबंध में विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी इस बात की समीक्षा कर लें कि संबंधित डी.सी. बिल समर्पित नहीं करने के लिए स्वयं निकासी एवं व्ययन

50

पदाधिकारी जिम्मेवार है या नहीं अथवा कौन से पदाधिकारी/कर्मचारी जिम्मेवार है एवं उनके विरूद्ध स्पष्टीकरण प्राप्त कर प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय कार्यवाही हेतु सक्षम प्राधिकार को प्रस्ताव दिया जाय ।''

2. आपके स्तर से कृत कार्रवाई की सूचना वित्त विभाग को अप्राप्त है । इतना ही नहीं सार विपत्र के माध्यम से निकासी की गयी राशि का डी.सी. विपत्र समर्पित करने संबंधी मामले की समीक्षा से विदित होता है कि विभिन्न मदों यथा पंचायत निर्वाचन, नगर निका निर्वाचन, सामान्य निर्वाचन, आपदा प्रबंधन, डीजल अनुदान, भूमि अर्जन आदि की राशि आवंटन के माध्यम से सीधे जिलों को उपलब्ध करायी गयी है जिसका डी.सी. विपत्र महालेखाकार (ले. एवं ह.) को उपलब्ध कराया जाना शेष है और इन मामलों में जिला पदाधिकारी कार्यालय ही सबसे बड़ा Defaulter है ।

अनुरोध है कि उपर अंकित वित्त विभागीय निदेशों का अनुपालन सुनिश्चिम कराते हुए सार विपत्र पर निकासी की गयी राशि का डी.सी. विपत्र समर्पित कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ।

विश्वासभाजन

3/1/2011

(रामेश्वर सिंह)
प्रधान सचिव ।

पत्र सं०- 28/डा०से०-18/2010.....8212 वि(2)-

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

रामेश्वर सिंह,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी कोषागार पदाधिकारी ।
सभी उपकोषागार पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक- 31/9/11

विषयः- सार विपत्र (ए.सी. विपत्र) के माध्यम से निकासी की गयी राशि का डी.सी. विपत्र समर्पित करने के संबंध में ।

प्रसंगः- वित्त विभागीय पत्रांक 8244 दिनांक 02.08.2010 तथा पत्रांक 9626 दिनांक 03.09.2010

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निम्नांकित निर्देश निर्गत किये गए हैं :-

(i) वित्त विभागीय पत्रांक 9626 दिनांक 03.09.2010 द्वारा आदेशित किया गया था कि, जिन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ने वर्ष 2002-03 से 2009-10 की अवधि में ए.सी. विपत्रों पर राशि की निकासी की है तथा जिनका सामंजन विपत्र उन्होंने महालेखाकार (ले. एवं ह.) को समर्पित नहीं किया है, वैसे निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा मात्र ए.सी. विपत्र के माध्यम से निकासी पर रोक कायम रहेगी परन्तु यह रोक ऐसी निकासियों पर लागू नहीं होगी जो न्यायालय के आदेश, विधि व्यवस्था, निर्वाचन, बाढ़, सुखाड़ या किसी आपदा अथवा सेवान्त लाभ के भुगतान से संबंधित है ।

(ii) वित्त विभागीय पत्रांक 8244 दिनांक 02.08.2010 की कंडिका- 'ज' में वर्णित है कि "ए.सी. विपत्र पर निकासी की गई राशि का व्यय अगर निर्धारित छः माह की अवधि, जिसमें डी. सी. विपत्र समर्पित करना है, तक नहीं हो सके तो उक्त राशि को कोषागार में जमा करा दिया जाय । कोषागार यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के जिम्मे छः माह से अधिक की अवधि का ए.सी. विपत्र लंबित हो, उन्हें ए.सी. बिल पर तब तक कोई निकासी नहीं करने दी जाएगी जबतक वे ऐसे ए.सी. विपत्रों से संबंधित डी.सी. विपत्र महालेखाकार को उपलब्ध नहीं करा देते हैं ।"

2. ए.सी. विपत्र के माध्यम से निकासी की गयी राशि का डी.सी. विपत्र समर्पित करने संबंधी मामलों की समीक्षा से ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा सार विपत्रों के माध्यम से राशि की निकासी वैसे मामलों में भी की जा रही है जहाँ पूर्व में सार विपत्र पर निकासी की गयी राशि का डी.सी. विपत्र महालेखाकार (ले. एवं ह.) को समर्पित किया जाना शेष है ।

अतः निदेश दिया जाता है कि उपर अंकित विभागीय निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें । यदि यह बात प्रकाश में आएगी कि आपके द्वारा विभागीय निदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो आपके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी ।

विश्वासभाजन
31/9/2011
(रामेश्वर सिंह)
प्रधान सचिव ।

पत्र संख्या-को0प्र0/कम्प्यूटर-08/2010 — 10133 वि० /नि०(2)

बिहार सरकार,

<u>वित्त (कोषागार प्रशाखा) विभाग ।</u>

पटना, दिनांक- 1/11/11

प्रेषक,

प्रभात शंकर,
अपर सचिव ।

सेवा में,

<u>सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार</u> ।
सभी उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार ।

विषयः- **मासिक लेखा प्रेषण के पश्चात संबंधित माह के लेखा बंद करने की Online प्रकिया पूर्ण करने के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का पत्रांक 39 दिनांक 13.10.2011 (प्रतिलिपि संलग्न) के आलोक में कहना है कि महालेखाकार कार्यालय द्वारा विभिन्न कोषागारों के लेखा से संबंधित अभिलेखों का अनुश्रवण Online किया जा रहा है । इस क्रिया के दौरान AG Transfer Treasury detail sheet में कई कोषागार के सामने " Under Processing " दर्ज रहता है । इससे महालेखाकार के द्वारा Monitering में कठिनाई होती है ।

अतः निदेश दिया जाता है कि सभी कोषागार/उपकोषागार पदाधिकारी अपना मासिक लेखा प्रेषण के पश्चात् CTMIS Treasury ---- Treasury Admin - Month Close के ऑपशन मे जाकर संबंधित माह को Close कर दें ताकि Under Processing Show न हो ।

अनुलग्नक - यथोक्त

विश्वासभाजन,

ह0/- 1/11/11

(प्रभात शंकर)
अपर सचिव, वित्त विभाग ।

पत्र सं०-एम.-04-52/2007..10,122/वि०(2)

बिहार सरकार

वित्त विभाग

पटना, दिनांक- 8/XI/11.....

प्रेषक,

मिहिर कुमार सिंह,
सचिव (व्यय)।

सेवा में,

सभी कोषागार पदाधिकारी,
सभी उप कोषागार पदाधिकारी ।

विषय :- मुख्य शीर्ष 8443 सिविल जमा के अन्तर्गत शेष अव्यवहृत राशि को कोषागार में जमा करने के संबंध में ।

प्रसंग :- वित्त विभागीय पत्र सं0 6987 दिनांक 28.07.2011

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया निर्देश लिया जाय जिसके द्वारा बिहार कोषागार संहिता, भाग-I के नियम-552 (पुराना) एवं बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 331 के आलोक में 31 मार्च, 2008 तक सिविल जमा मुख्य शीर्ष 8443 के लघु शीर्ष-II अन्य विभागीय जमा (विपत्र कोड सं0-844300110001) में जमा राशि, जिसकी निकासी अभी तक नहीं हुई है, उसकी निकासी कर सरकार के संचित निधि में जमा करने के पश्चात् महालेखा परीक्षक की लेखा संहिता खंड-II में अर्न्तविष्ट निदेशों के अनुसार तैयार की गयी सूची तुरंत महालेखाकार को भेज दी जाय एवं इसकी सूचना वित्त विभाग को 7 दिनों के अन्दर दी जाए । परन्तु अभी तक आपके स्तर से अभी तक कृत कार्रवाई की सूचना अप्राप्त है ।

अतः अनुरोध है कि संलग्न प्रपत्र में वांछित सूचनाएं 15 दिनों के अन्दर वित्त विभाग को भेजा जाय ।

अनु0 :- वित्त विभागीय पत्रांक 6987
दिनांक 28.07.2011 की छायाप्रति ।

विश्वासभाजन,

(मिहिर कुमार सिंह)
सचिव (व्यय) ।